भारत सरकार
रक्षा मंत्रालय
भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4127
24 मार्च, 2023 को उत्तर के लिए

एक रैंक-एक पेंशन की बकाया राशि

4127.श्री ए.राजा:
श्री ए.गणेशमूर्ति:
श्री के. सुब्बारायणः

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने सशस्त्र बलों के पात्र पेंशनभोगियों को एक रैंक-एक पेंशन की बकाया राशि का भुगतान कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भूतपूर्व सैनिकों ने उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश के विपरीत किस्तों में बकाया राशि के भुगतान पर आपत्ति जताई थी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में बकाया राशि के भुगतान की स्थिति क्या है?

उत्तर
रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय भट्ट)

(क) और (ख): जी, हां। सरकार की नीति के अनुसार सशस्त्र बलों के पात्र पेंशनभोगियों को एक रैंक-एक पेंशन की बकाया राशि का भुगतान प्रगति पर है । सशस्त्र बलों के पात्र पेंशनभोगियों को एक रैंक-एक पेंशन के बकाया के रूप में दिनांक 13.03.2023 तक 5065.70 करोड़ रू. का भुगतान किया जा चुका है ।

(ग) और (घ): इंडियन एक्स-सर्विसमेन मूवमेंट (मिलिट्री वेटरंस संगठन का एक अखिल भारतीय संघ) द्वारा रिट याचिका (सिविल) सं. 419/2016 में एक प्रकीर्ण आवेदन सं. 219/2023 दाखिल किया गया था । सरकार ने ओआरओपी की बकाया राशि के भुगतान के लिए समय सीमा बढ़ाने की मांग करते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय में एक शपथ-पत्र दाखिल किया है । इस मामले की सुनवाई दिनांक 20.03.2023 को हुई थी और उच्चतम न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा की जा रही है ।

******